

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
38/20	212 RTA	जैपल्ला	६९६१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कंप्यू शीकी ई	बनाम	विजय सिंह	

वकील :- **श. ल. चौरसिया एडवो.** आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

10/9/20

अभिभाजक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विषयक अप्रार्थीगण के इस -पत्रावली में पेश किया गया, रिपोर्ट सविस्तार का अवलोकन किया गया, प्रमाण दर्प शक्ति किया जावे। तथा अप्रार्थीगणों को जांच के लिए तलब कर पत्रावली दिनांक 5/10/20 को पेश हो।

5/10/20

अजय पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (धारा)

21/10/20

अजय पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24-11-20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)

24/11/20

अजय पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11-11-20 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

20.3.24

कार्यवाही एवं आदेश
दिनांक 20.3.24 को पेश हो।
14
न्यायाधीश (अधीनस्थ) अधिकारी
प्रथम (बारा)

7.5.24

पत्रावली पेश हुई। नकल प्राप्त करीको उपा।
एक जग पत्र नही उपा लगन नास्टे
है पत्रावली काटि ए जग पत्र दिगोक्त
11.6.24 को पेश हो।

11.6.24

पत्रावली पेश हुई। नकल प्राप्त करीको उपा। ए जग
पत्र पेश करी उपा लगन नास्टे है पत्रावली काटि
ए जग पत्र दिगोक्त 16.7.24 को पेश हो।

16.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपा। इल वाड पत्रावली
के संशोधित मसल शाठ पत्रावली है। काफर मुलाकात
की तलनी हेतु नलवाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलनी
दिगोक्त 3.9.24 को पेश हो।

3.9.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपा। काफर मुलाकात
की तलनी हेतु नलवाना आवश्यक मस ले पेश हो।
पत्रावली वास्ते तलनी दिगोक्त 21.10.24 को पेश हो।

21.10.24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्गी व स्वयं जर्गी उपा नही है।
वकील जर्गी व स्वयं जर्गी उपा नही को वीर वाड आवाज
लगवाये जर्गी वाकण्ड प्रलग के न्याया. है उपा नही
है। कतः जर्गी का उपा पत्र अडन डगरी अडन
पत्रेव है जोरिद किया जात है पत्रावली के तल सुनाए
अडन वाड वकील वकील के दाखिले इमर हो।